

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उओप्र० शासन।

सेवा में,

- 1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

### पंचायती राज, अनुभाग-3

लेखनांक: दिनांक-४१ मई, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-81/2017/2170/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन “हमारी पंचायत पोर्टल” ([www.hamaripanchayat.up.gov.in](http://www.hamaripanchayat.up.gov.in)) पर दिनांक 01 जून, 2023 से प्राप्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार” वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा-निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा शासनादेश संख्या-1033/33-3-2022-345/2016 टी.सी.-1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषयों (थीम) पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाये :—

1— योजना का उद्देश्य :—

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर ख्यात की प्रेरणा स्त्रोत के रूप में कार्य करेंगी।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जाग्रत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2— सामान्य निर्देश :—

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों को ऑनलाइन “हमारी पंचायत पोर्टल” के माध्यम से खमूल्यांकन कर दिनांक 10 अगस्त, 2023 तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।

- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर-4 पर वर्णित हैं—

1— राज्य स्तरीय समिति ‘राज्य पर फारमेंस असेसमेन्ट समिति’ (SPAC)-कृषि उत्पादन आयुक्त, उओप्र० शासन की अध्यक्षता में।

2— जनपद स्तरीय समिति “जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति” (DPAC)-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

I/320141/2023

- योजनान्तर्गत निम्नवत उल्लिखित प्रस्तार-3 मे प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होंगे, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों द्वारा प्रश्नावली मे दर्शाई गयी सूचनाओं के स्थलीय सत्यापनोपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली चयनित 05 ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर सौफ्ट ऐयर ([www.hamaripanchayat.up.gov.in](http://www.hamaripanchayat.up.gov.in)) पर अंकित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति को होगी।
- जनपदों से प्राप्त ग्राम पंचायतों की संस्तुति के आधार पर राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम मे निर्धारित कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधिक बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत हमारी पंचायत पोर्टल ([www.hamaripanchayat.up.gov.in](http://www.hamaripanchayat.up.gov.in)) पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को राज्य पर फारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि विगत 02 वर्षों से लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, वे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस निमित्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऐसी पंचायतों को सौफ्टवेयर पर अंकित नहीं किया जायेगा।
- चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समरत मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय मे सुरक्षित रखी जायेगी, जिससे उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- हमारी पंचायत पोर्टल ([www.hamaripanchayat.up.gov.in](http://www.hamaripanchayat.up.gov.in)) पर आवेदन हेतु सविव ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तरीय समिति (DPAC) के यूजर आई डी और पासवर्ड रामबन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ई मेल आई डी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या-1033 / 33-3-2022-345 / 2016टी री-1, दिनांक 27 मई, 2022 मे वर्धित 09 विषय/क्षेत्र एवं अधिमान:-

क्र0स्टो	क्षेत्र	कुल 100 अंक
01	थीम-01 गरीबी मुक्त गाँव	10 अंक
02	थीम-02 स्वस्थ गाँव	10 अंक
03	थीम-03 वाल मेंकी गाँव	10 अंक
04	थीम-04 पर्याप्त जल युक्त गाँव	10 अंक
05	थीम-05 स्वच्छ एवं उरित गाँव	10 अंक
06	थीम-06 आत्म निर्भर युनियार्टी क्षेत्र गाला गाँव	10 अंक

07	थीम-07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव	10 अंक
08	थीम-08 सुशासन वाला गाँव	20 अंक
09	थीम-09 महिला हितेषी गाँव	10 अंक

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

#### 4— समितियों का गठन एवं दायित्वः—

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) :-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद पर फारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्वः—

- 01— जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।
- 02— ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन-लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फीज करना।
- 03— ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।
- 04— स्थलीय सत्यापन के पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को उपलब्ध कराना।
- 05— सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आई डी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।
- 06— ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, प्रधान व पंचायत सहायक का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ऑन लाइन/ऑफ लाइन प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- 07— जनपद रत्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना एवं प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पेंटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 08— पुरस्कार धनराशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण-पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) —

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, वैसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग-1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा10), पंचायती राज विभाग, उ.प्र।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लखनऊ), पंचायती राज विभाग, उ.प्र।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त राजिया/उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र।	सदस्य संयोजक

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) के दायित्वः—

- 01- योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।
- 02- पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।
- 03- जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- 04- पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब-साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।
- 05- राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय-सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।
- 06- पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रधासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।
- 07- प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।
- 08- योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मद्वारा बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।
- 09- योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।
- 10- ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया :-

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑन लाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकन कर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (DPAC) ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑन लाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम दो गुना ग्राम पंचायतों का अंकों के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। ग्राम पंचायतों के सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश निदेशक पंचायतीराज द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिपोर्ट जनपद स्तरीय समिति को ऑन लाइन प्रस्तुत करेगी तथा तदनुसार सर्वाधिक अंकवाली ग्राम पंचायतों (DPAC द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों) की अंतिम सूची पुरस्कार हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति को ऑन लाईन अग्रसारित किया जायेगा।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा अवरोही क्रम में तैयार कर SPAC के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी (SPAC) द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जारी की जायेगी। SPAC का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

#### 6- बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा किये गये आय-व्ययक प्राविधान रु0 8500 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समर्त कार्य माह नवम्बर, 2023 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेंगे यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते हैं अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा।

## 7— पुरस्कार का खबर

- पुरस्कार धनराशि— पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर दिया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा और लाइन एक्सान्टरिट की जायेगी।
- प्रशस्ति पत्र।

## 8— पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को गाननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गहननुभावों की अव्यक्तता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/रामायं रामारोह में समाप्ति किया जायेगा। शासनादेश राम्या-81/2017/2170/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20 मित्रवर, 2017 को उक्त रीमा तक अवकाशित किया जाता है।

संलग्नक: संशोकता।

गवर्नर,


Signed by सुनीज कुमार सिंह  
 Date: 19-05-2023 10:16:45  
 अपर मुख्य सचिव।  
 Reason: Approved

संख्या:- /33-3-2023- रामदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही छेत्र प्रेषित :-

- 1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 3— प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
- 5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
- 6— प्रमुख सचिव/सचिव, रामरथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7— प्रमुख सचिव/सचिव, वैशिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8— विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9— समरत मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 10— मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
- 11— निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
- 12— निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
- 13— अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 14— उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 15— समरत मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
- 16— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 17— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, स्वारथ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 18— समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 19— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 20— अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

आङ्ग से,

  
 (अशोक कुमार राम)  
 अनु सचिव।

**शासन के पत्र संख्या :—दिनांक                          का संलग्नक  
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न<sup>1</sup>  
कार्य कलापों की समय सारणी।**

क्र०सं०	गतिविधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑन लाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	20 मई, 2023
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज की बेवसाइट 'हमारी पंचायत पोर्टल' ( <a href="http://www.hamaripanchayat.up.gov.in">www.hamaripanchayat.up.gov.in</a> ) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम सम्बन्धित विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्षों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं०) की देख रेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑन लाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	01 जून से 10 अगस्त 2023
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु चयन के सापेक्ष न्यूनतम दो गुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	25 अगस्त, 2023
4	जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन करना एवं सर्वाधिक अंकवाली प्रत्येक जनपद से 05 ग्राम पंचायतों को चयनित कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ऑन लाइन फ्रीज करेगी।	25 सितम्बर, 2023
5	जनपद स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फिज की जायेगी।	10 अक्टूबर, 2023
6	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	25 अक्टूबर, 2023
7	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण किया जाना।	माह नवम्बर, 2023

**नोट :-** 1—उपरोक्त योजनान्तर्गत समय-सारणी परिस्थितियों के दृष्टिगत निदेशक, पंचायतीराज द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी।  
2— समय सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**भूमिकाएँ पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रश्नावली 2023**  
**थीम आधारित मूल्यांकन वर्ष 2022-23**

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	कुल पूर्णांक-100 संबंधित दस्तावेज+
<b>थीम-01 गरीबी मुक्त गाँव (10 अंक)</b>				
1.	मनरेगा के लेबर बजट के सापेख कितने जाब कार्ड धारकों को रोजगार प्राप्त हैं।	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ जाब कार्ड का मस्टर रोल
2.	याम पंचायत की कुल आबादी के सापेख राशन कार्ड की कुल कितनी यूनिट जारी किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल की सूचना की प्रति
3.	मूल्यांकन वर्ष के दोरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए?	2	पात्र कृषकों के 75 प्रतिशत से अधिक रजिस्टर्ड होने पर 02 अंक एवं 50-74 प्रतिशत तक 01 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ सम्बन्धित अधिलेख की आधारपत्री
4.	कितने प्रतिशत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की प्रमाणित सूची की आधारपत्री
5.	मूल्यांकन वर्ष के दोरान कितने पात्र स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) ने खेंकों से जूण लिया है?	2	02 समूह पर 02 अंक 01 समूह पर 01 अंक एवं 01 समूह से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ देंक-द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिलेख की आधारपत्री
<b>थीम-2 स्वस्थ गाँव (10 अंक)</b>				
6.	मूल्यांकन वर्ष के दोरान ग्राम पंचायत में कोविड-19 के बुस्टर ड्रेज का टीकाकरण किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ टीकाकरण कराने वाले लाभाधियों की संख्या स्तर से सत्यापित रही।
	यदि हाँ तो कितने प्रतिशत हुआ है _____			

7.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में 01 वर्ष आयु तक के बच्चों का शृंग-प्रतिशत टीकाकरण हुआ है ?		2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ अंगनबाड़ी एवं आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एन. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
8.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में गर्भवती महिलाओं का शृंग-प्रतिशत टीकाकरण हुआ है।		2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
9.	ग्राम पंचायत में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	पूर्ण प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या	प्रतिरक्षित गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	2 4 उपकरण पर 2 अंक 2 उपकरण पर 1 अंक 2 से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ संबंधित उपकरणों के फोटोग्राफ व रजिस्टर की छायाप्रति पत्र।
10.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में कुल प्रसव के सापेक्ष संस्थागत प्रसव	कालम 01 के सापेक्ष संस्थागत प्रसव	संस्थागत प्रसव का प्रतिशत	2 75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण-पत्र।
<b>थीम- 03 बाल मैत्री गाँव (10 अंक)</b>					
11.	मूल्यांकन वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में 06 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में है ?		2 पर 02 अंक, 01-05 श्रापआउट पर 01 अंक	विद्यालय में सत्यापन के समय 0 ड्रापआउट साथ सचिव से सत्यापित पारिवार रजिस्टर, शिक्षक से सत्यापित विद्यालय पंजीकरण रजिस्टर।	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ सचिव से सत्यापित पारिवार रजिस्टर, शिक्षक से सत्यापित विद्यालय पंजीकरण रजिस्टर।
12.	क्या ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है?		2 हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	तथा 05 से अधिक श्रापआउट पर शून्य अंक हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ फोटो, विडियो।
13.	1098 हेल्पलाइन/बाल अधिकार चार्टर की पैटिंग विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन पर है अथवा नहीं?		2 हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ फोटोग्राफ

14.	क्या वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत में बच्चों का शत-प्रतिशत सी.आर.एस. पोर्टल पर जन्म पंजीकरण हुआ है?		2	75 से 100 प्रतिशत होने की दरा में 02 अंक 50 से 74 प्रतिशत से कम पर 1 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ-साथ आशा/ए.एन. एन. के रिपोर्ट की प्रति तथा सी.आर.एस. पोर्टल की रिपोर्ट की प्रति।
	वर्ष 2022-23 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या	सी.आर.एस. पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों की संख्या	पंजीकृत बच्चों का प्रतिशत		
15.	आंगनबाड़ी केन्द्र में बाल मेंत्री शौचालय निर्मित है अथवा नहीं?		2	हाँ की दरा में 02 अंक नहीं की दरा में 00 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट फोटोग्राफ
• हाँ • नहीं					
धीम- 04 पर्याप्त जल उक्त गाँव (10 अंक)					
16.	पंचायत भवन/विद्यालय में रेनवाटर हार्डिस्टेंग (RWH) है अथवा नहीं?		2	दोनों में RWH होने पर 02 अंक किसी 01 में RWH होने पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
	पंचायत भवन <input type="checkbox"/> विद्यालय <input type="checkbox"/>				
17.	ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों में गहरीकरण/डिसिल्टेशन किया गया है अथवा नहीं,		2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
	• हाँ • नहीं				
18.	जल संरक्षण सम्बन्धी आई.ई.सी./जागरूकता/गतिविधियां (बाल पैटिंग/ग्राम सभा की बैठक/ऐली/ प्रतियोगिता आदि) की गयी है अथवा नहीं?		2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व आई.ई.सी. से संबंधित अनिवार्य की छायाप्रति व फोटोग्राफ
	• हाँ • नहीं				
19.	ग्राम पंचायत में स्थापित हैंडपम्पों के समीप सोख्ता गड़ों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं?		2	10 से अधिक सोख्ता गड़ों के निर्माण पर 02 अंक 05-10 तक सोख्ता गड़ों के निर्माण पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
	• हाँ • नहीं				
	हाँ कि स्थिति में कुल केतने हैंडपम्पों के समीप सोख्ता गड़ों का निर्माण किया गया <input type="checkbox"/>				
20.	ग्राम पंचायत में जल निकायों (Water Bodies) संरक्षण एवं साफ-सफाई हेतु किये गये प्रयास। तालाबों को पालीथीन/प्लास्टिक मुक्त किया गया है।		2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 75 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक	सत्यापन दल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही शिविर, फोटोग्राफ/ वीडियो
	तालाबों की कुल संख्या	पालीथीन/प्लास्टिक मुक्त किये गये तालाबों की संख्या	प्रतिशत		

### धीम-5 स्वरूप एवं हरित गाँव (10 अंक)

21.	<p>सत्यापन दल के दौरान याम पंचायत ने पोटल पर छुट को ओडीएफ पत्रस मॉडल घोषित किया था।</p> <p>(छ) हाँ, और स्व-धोखणा के बाद ब्लाकलिटा ईमो द्वारा तीसरे पक्ष का सत्यापन भी किया जाता है।</p> <p>(ज) हाँ, लेकिन ब्लाकलिटा ईमो द्वारा स्व-घोषणा के बाद तीसरे पक्ष का सत्यापन नहीं किया गया है।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	2	विकल्प-क पर 02 अंक विकल्प-ख पर 01 अंक विकल्प-ग पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़						
22.	<p>याम पंचायत और डीएफ़, प्लस हेटु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किया गया है अथवा नहीं?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• हाँ</li> <li>• नहीं</li> </ul>	2	ठोस एवं तरल दोनों के प्रबन्धन पर 02 अंक एवं किसी 1 के प्रबंधन पर 01 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़						
23.	<p>सन्तुदाचिक शौचालय संचालित है अथवा नहीं?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• हाँ</li> <li>• नहीं</li> </ul>	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़						
24.	<p>उमेर 2022-23 में किसे गर्दे कुल दृश्यारोपण के सामेक्ष विकल्पे प्रतिशत पाए जीवित हैं ?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">उमेर 2022-23 में कुल रोपित</td> <td style="width: 33%;">वर्तमान में कितने पाए</td> <td style="width: 33%;">जीवित पोर्टों का प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>पर्याचों की संख्या</td> <td>पोर्टों की संख्या</td> <td>जीवित हैं</td> </tr> </table>	उमेर 2022-23 में कुल रोपित	वर्तमान में कितने पाए	जीवित पोर्टों का प्रतिशत	पर्याचों की संख्या	पोर्टों की संख्या	जीवित हैं	2	75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक 50 से 75 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़
उमेर 2022-23 में कुल रोपित	वर्तमान में कितने पाए	जीवित पोर्टों का प्रतिशत								
पर्याचों की संख्या	पोर्टों की संख्या	जीवित हैं								
25.	<p>याम पंचायत में कुड़ा/कचरा, जल-जमाव की स्थिति ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कुड़ा/कचरा व जल जमाव नहीं है।</li> <li>• कुड़ा/कचरा नहीं है।</li> <li>• जल-जमाव नहीं है।</li> </ul>	2	कुड़ा/कचरा नहीं पर 01 अंक एवं जल-जमाव नहीं पर 01 अंक तथा कुड़ा/कचरा व जल-जमाव नहीं पर 02 अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व कोटोराफ़						
<b>धीम- 06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव (10 अंक)</b>										
26.	<p>याम संचिकालय समर्पित उपकरणों के साथ संचालित हो रहा है अथवा नहीं ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• हाँ</li> <li>• नहीं</li> </ul>	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़						
27.	<p>याम संचायत से ऊर्ध्वासाधी लेनदेन अलग से बना है अथवा नहीं ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• हाँ</li> <li>• नहीं</li> </ul>	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व कोटोराफ़						

28.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के अन्तर्गत निम्नानुकूल गतिविधियों की गयी हैं-	2	04 या 04 से अधिक गतिविधियों पर 02 अंक किन्हीं 03 गतिविधियों पर 02 अंक 03 गतिविधियों से कम पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की आयाप्रति व फोटोग्राफ
1.	स्कूल के समस्त कक्षों में टाइल्स व रंगाइंपुताइ			
2.	स्मार्ट क्लास			
3.	बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर			
4.	एम.डी.एम. सेट			
5.	स्वच्छ पर्याजल स्टैण्ड			
29.	पार्क/ओपेन जिम का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की आयाप्रति व फोटोग्राफ
•	हाँ			
•	नहीं			
30.	ग्राम पंचायत के मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट लगाये गये हैं अथवा नहीं ?	2	50 से अधिक स्ट्रीटलाइट पर 02 अंक एवं 10 से 50 स्ट्रीटलाइट पर 01 अंक तथा 10 से कम स्ट्रीटलाइट पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व संबंधित अभिलेखों की आयाप्रति व फोटोग्राफ
•	हाँ			
•	नहीं			
<b>थीम- 07 सामाजिक रूप से मुरक्कित गाँव (10 अंक)</b>				
31.	प्रत्येक माह राशन का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं ?	2	वर्ष के 12 माह में वितरित होने पर 02 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ कोटेदार एवं रजिस्टर की प्रति तथा वाल ऐन्टिंग द्वारा प्रदर्शित लाभार्थियों की सूची की फोटो।
•	हाँ			
•	नहीं			
32.	ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा, पेशन (विधवा/वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेन्शन) निल रही है अथवा नहीं ?	2	सत्यापन के समय पात्र लाभार्थियों के सामेज मात्र 2 लाभार्थी पेन्शन विहीन पाये जाते हैं तो 2 अंक 2 से 5 तक लाभार्थी पेशन विहीन पाये जाते हैं तो 01 अंक 5 से अधिक लाभार्थी पेशन विहीन पाये जाते हैं तो शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ पेशन लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की आयाप्रति

33.	ग्राम पंचायत में जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत कितने पार लाभार्थियों ने आयुर्वान भारत काउंसल किया है?	2	मन्यापन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ लाभार्थियों की सकाम स्तर से प्रभागित मूर्खी व पासवुक की छायाप्रति
34.	ग्राम पंचायत में चारोंरिक योजना ताम/आपदा राहत धनराशि के कितने लाभार्थियों को लाभ पाए हैं?	2	सहयोगन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ लाभार्थियों की सकाम स्तर से प्रभागित मूर्खी व पासवुक की छायाप्रति
35.	ग्राम पंचायत में दिवाह अनुदान/समृद्धि विवाह योजना में कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है ? लाभार्थित लाभार्थियों की संख्या	2	सहयोगन दल की रिपोर्ट के साथ- साथ लाभार्थियों की सकाम स्तर से प्रभागित मूर्खी व पासवुक की छायाप्रति
36.	इन दोनों पंचायत द्वारा नियों रखों से स्वयं की आय में वृद्धि की गयी है ।	2	सहयोगन दल की सहयोगन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम निविधि अधिकारी के पासवुक में उच्चत आय के जमा होने की प्रवृद्धि एवं ऑडिट रिपोर्ट में अंकन
37.	कृषि रानम दलमा द्वारा वर्ष 2022-23 में बैठकों का आयोजन समझ किया जा रहा है ? ग्राम रानमा में आदेशित कुल बैठकों की संख्या	2	सहयोगन दल की सहयोगन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम सभा के कार्यवाली रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ़।
38.	कृषि रानम पर्यावरण दलमा द्वारा वर्ष 2022-23 में सभी 12 बैठकों का आयोजन समझ किया गया ?	2	सहयोगन दल की सहयोगन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम सभा के कार्यवाली रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ़।

### थीम-8 सुशासन वाला गाँव (20 अंक)

36.	इन दोनों पंचायत द्वारा नियों रखों से स्वयं की आय में वृद्धि की गयी है ।	2	5000 या अधिक की स्थिति में 02 अंक एवं 1000 से 4999 तक 01 अंक एवं 1000 से कम पर शून्य अंक
37.	कृषि रानम दलमा द्वारा वर्ष 2022-23 में बैठकों का आयोजन समझ किया जा रहा है ?	2	02 बैठक पर 01 अंक तथा 02 से अधिक बैठकों पर 02 अंक
38.	कृषि रानम पर्यावरण दलमा द्वारा वर्ष 2022-23 में सभी 12 बैठकों का आयोजन समझ किया गया ?	2	100 प्रतिशत पर 02 अंक, 75-99 प्रतिशत तक 01 अंक तथा 75 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक

39.	ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर गेटवे पोर्टल के माध्यम से समस्त भूगतान किया गया है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट, सत्याचित अग्रिमलेख व फोटोग्राफ
40.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 के खाते का संसमय आडिट कराया गया है एवं "आडिट अनलाइन साप्टवेयर" के माध्यम से आडिट का कार्य किया है ?	2	हाँ की स्थिति पर 02 अंक  ○ हाँ ○ नहीं	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, आडिट रिपोर्ट एवं कैश बुक।
41.	ग्राम पंचायत में निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक  • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
42.	वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. में निर्धारित 05 चरणों का पालन किया गया है ?	2	सभी 5 चरणों के क्रियान्वयन पर 02 अंक एवं 03-04 चरणों पर 01 अंक तथा 03 से कम पर शून्य अंक  □ वातावरण का सूजन □ परिस्थिति का विश्लेषण □ आवश्यकता/समस्याओं का चिन्हांकन एवं प्राथमिकीकरण □ इमर्ट कार्ययोजना तैयार करना □ अंतिम तैयार कार्ययोजना की ग्राम सभा में वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति	सत्यापनदल की सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर व फोटोग्राफ उक्त के साक्ष्य ग्रामवासियों के ब्याज आदि ।
43.	ग्राम पंचायत निधि में विभिन्न स्रोतों व योजनाओं से हो रहे आय-न्यय का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल पर किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक  • हाँ • नहीं	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
44.	आई.जी.आर.एस. अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत के समस्त शिकायत का निर्धारित पोर्टल (मुख्यमंत्री संदर्भ, अनलाइन संदर्भ आदि) का निस्तारण किया गया है, वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है?	2	अवशेष होने पर शून्य अंक एवं अवशेष नहीं होने पर 02 अंक  • अवशेष है • अवशेष नहीं है	सत्यापन दल की रिपोर्ट व पोर्टल पर निस्तारण की प्रति

मार्गदर्शक	प्रश्नामुखी वार्ता को लेकर एक सामाजिक संस्था ने क्या कहा है?	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
<b>थीम- 09 महिला हितेशी गाव (10 अंक)</b>				
प्रश्न	प्रश्नामुखी वार्ता के लिए एक विवरणीय उत्तर लिखें। इसमें वार्तामें का ध्याक-ध्याक शैलीयतया निर्देश दें।	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
उत्तर	महिला हितेशी गाव का विवरण लिखें। गाव में इन्फ्रास्ट्रक्चर/सासिक एवं प्रशासन की विवरण लिखें।	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
प्रश्न	प्रश्नामुखी वार्ता को गुणवत्ताएँ पौरिक भोजन/पोषाहार का विवरण लिखें।	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
उत्तर	प्रश्नामुखी वार्ता के लिए लकड़ी के साथ सामानिक लकड़ी की हितिरी वार्ता का विवरण लिखें।	2	75 प्रतिशत से अधिक पर 02 अक्षर, 50-75 प्रतिशत या 01 अक्षर वार्ता 50 प्रतिशत से 007 पर शृंखला अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
प्रश्न	प्रश्नामुखी वार्ता के लिए लकड़ी के साथ सामानिक लकड़ी की वार्ता का विवरण लिखें।	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।
उत्तर	प्रश्नामुखी वार्ता के लिए लकड़ी के साथ सामानिक लकड़ी की वार्ता का विवरण लिखें।	2	हाँ पर 02 अक्षर एवं 01 अक्षर अन्य अक्षर	प्रश्नामुखी वार्ता को लिपि में लिखें।